

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, L.P.ESTATE, NEW DELHI

NO:F.10 (210)/Ex/IMFL/2011-12/ 136-152

Dated: 08/02/17

NOTIFICATION

In pursuance of the provision of Rule 52 of the Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the "Dry Days" shall be observed from 5 PM on 09.02.2017 to 11.02.2017 till 5PM on account of Vidhan Sabha General Elections, 2017 in Uttar Pradesh by the L-6, L-6FG, L-6FE, L-7, L-7FG, L7FE, L-8, L-10, L-12, L-12F, L-14 Licensees whose retail vends are situated within 100 meters distance in Delhi from Delhi Uttar Pradesh Border in the National Capital Territory of Delhi.

The above shall be observed as Dry Days in addition to the Dry Days notified vide notification No.F.10(56)/96-97/IMFL/Ex/Pt.file/1576-1590 dated 26. 12.2016.

(SANJAY KUMAR)
COMMISSIONER OF EXCISE

Dated:

NO:F.10 (210)/Ex/IMFL/2011-12/

Copy forwarded to:-

1. The Chief Secretary, Govt of NCT of Delhi.
2. Principal Secretary (Finance), Govt of NCT of Delhi.
3. Secretary to Lt. Governor Delhi, Raj Niwas, Delhi.
4. Addl. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi
5. Secretary to Finance Minister, Govt of NCT of Delhi.
6. The Commissioner of Police, NCT of Delhi
7. The Divisional Commissioner-Cum-Secretary (Revenue) NCT of Delhi
8. District Magistrate, Ghaziabad/Gautam Budh Nagar/Bagpat, U.P.
9. The Director of Information and Publicity for wide publicity
10. The Dy. Secretary, GAD Govt. of NCT of Delhi for notification in the Delhi Gazette.
11. The Under Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi
12. Dy. Commissioner (Taxes/Excise), Deptt. Of Excise, Entt. & Luxury Tax, GNCT of Delhi.
13. All the Branch Officers, Excise Department, Delhi with the request to circulate this order to all the licensees under their control.
14. All Excise Inspectors/Sub Inspectors for ensuring strict compliance.
15. The Managing Director, DSIDC, DTTDC, DSCSC and Administrator, DCCWS.
16. All licensees.
17. Guard File.

(SANJAY KUMAR)
COMMISSIONER OF EXCISE


(दिल्ली राजपत्र भाग 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय आबकारी आयुक्त
एल-ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. स्टेट, नई दिल्ली।

स. फा. 10(210/आब/आई. एम. एफ. एल./2011-12 \ 136-152 दिनांक 08/02/17

अधिसूचना

दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम-52 के उपबंधों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विधानसभा के आमचुनाव 2017 के कारण दिनांक 09.02.2017 (बृहस्पतिवार) सांय 05:00PM बजे से दिनांक 11.02.2017 (शनिवार) सांय 05:00PM बजे तक "शुष्क दिवस" घोषित किया जाता हैं जो कि सभी एल-6, एल-6 एफ जी, एल-6एफई, एल-7, एल-7 एफ जी, एल-7एफई, एल-8, एल-10, एल-12, एल-12 एफ, एल-14 लाइसेंस धारको पर जो कि दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 100 मीटर के अन्तर्गत आते हैं, पर लागू होगा।

उपरोक्त दिन इस प्रशासन की दिनांक 26.12.2016 की अधिसूचना संख्या फा. 10(56)/96-97/ आईएमएफएल/आब/पा.फा. 1576-1590, दिनांक 26.12.2016 के अनुसार घोषित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त 'शुष्क दिवस होंगे।


(संजय कुमार)


आबकारी आयुक्त

फाईल स. फा. 10(210/आब/आई. एम. एफ. एल./2011-12

दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रधान सचिव (वित्त) दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
3. माननीय उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
5. मण्डल आयुक्त एवं सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
6. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
7. जिलाधीक्षक गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार (दिल्ली) राजपत्र के प्रकाशनार्थ)
9. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार (दिल्ली राजपत्र के प्रकाशनार्थ)
10. अवर सचिव (विधि), दिल्ली सरकार, दिल्ली।
11. उपायुक्त (कर/आबकर), दिल्ली सरकार, दिल्ली।
12. सभी शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वह अपने नियंत्रण के समस्त लाइसेंसधारियों को यह अधिसूचना परिचालित कराएं।
13. समस्त आबकारी निरीक्षक/उपनिरीक्षक को सख्ती से पालन हेतु।
14. प्रबन्ध निदेशक, डी. एस. आई. डी. सी./डी. टी. टी. डी. सी. /डी. एस. सी. एस. सी. प्रशासक एवं डी. सी. सी. डब्ल्यू.एस.
15. सूचना पट
16. सभी लाइसेंसी
17. गार्ड फाईल


(संजय कुमार)